वाइटल स्टैट्स

शीतकालीन सत्र 2025 में संसद का कामकाज

संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर, 2025 तक आयोजित किया गया। इस दौरान दोनों सदनों ने 15 दिन कार्य किया। इस नोट में इस अवधि के दौरान दोनों सदनों के कामकाज का विश्लेषण किया गया है।

दोनों सदनों ने अपने निर्धारित घंटों से अधिक कार्य किया

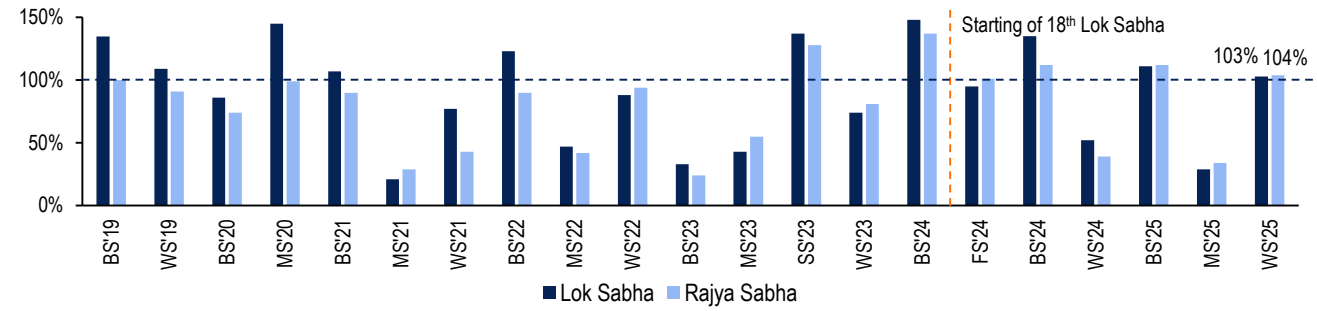

नोट: FS पहला सत्र, BS बजट सत्र, MS मानसून सत्र, WS शीतकालीन सत्र और SS विशेष सत्र है।

लोकसभा का 36% समय कानून बनाने में व्यतीत

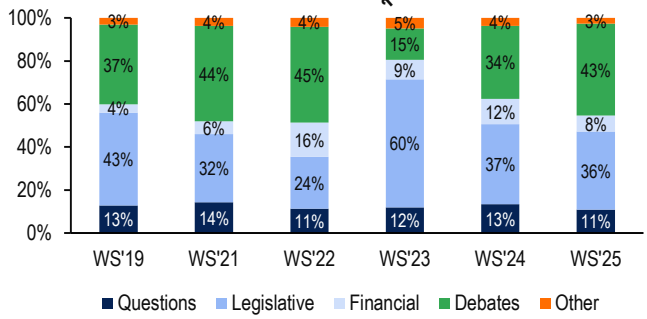

राज्यसभा का 30% समय कानून बनाने में व्यतीत

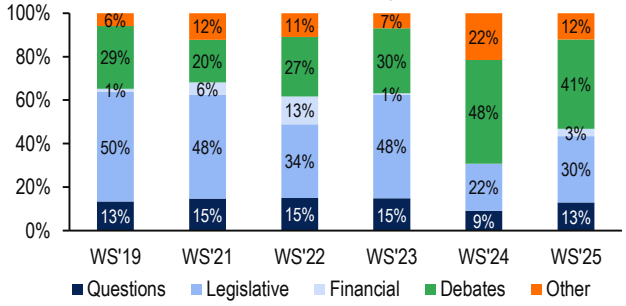

नोट: "other" में समिति सदस्यों के चुनाव के लिए प्रस्ताव, अध्यक्ष या सभापति का अभिनंदन, पटल पर पत्र रखना, शोक संदेश, सदस्यों का निलंबन और वैधानिक प्रस्तावों पर चर्चा जैसी गतिविधियों में व्यतीत समय शामिल है।

- लोकसभा अपने निर्धारित समय का 103% और राज्यसभा 104% समय तक चली। दोनों सदनों ने अपने समय का 40% से अधिक भाग बहस में व्यतीत किया। इस दौरान वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और चुनावी सुधारों पर विशेष चर्चा की गई।
- विधायी कार्यों में अपेक्षाकृत कम समय व्यतीत हुआ, अधिकतर बिल्स पर चर्चा हुई और उन्हें पेश करने के कुछ ही दिनों के भीतर पारित कर दिया गया।

रुचिरा साकल्ले
ruchira@prsindia.org

19 दिसंबर, 2025

इस सत्र में नौ बिल पेश किए गए, सात पारित हुए और दो को समितियों को भेजा गया

इस सत्र में पेश नौ बिल्स में से सात एक हफ्ते के भीतर पारित

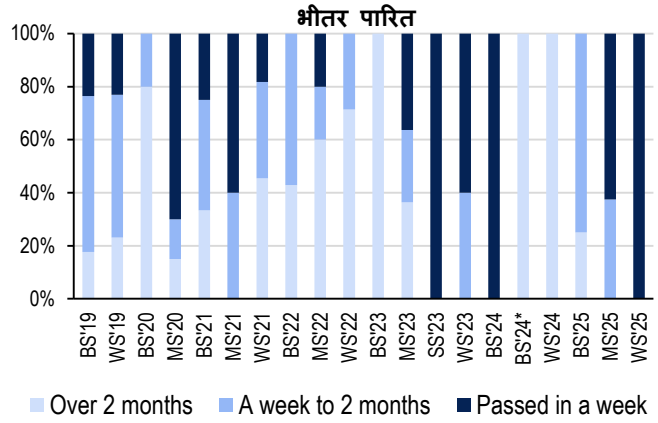

नोट: * 18वीं लोकसभा का प्रारंभ 2024 के दूसरे बजट सत्र से हुआ।

- सत्र के अंतिम हफ्ते में दूरगामी परिणामों वाले कई बिल पेश किए गए।
- इनमें परमाणु ऊर्जा रेगुलेटर, मनरेगा और बीमा कानूनों का पुनर्गठन शामिल है। ये सभी बिल एक हफ्ते के भीतर पारित कर दिए गए।
- उच्च शिक्षा के रेगुलेशन में संशोधन और तीन प्रतिभूति कानूनों को एक संहिता में एकीकृत करने वाले दो बिल समीक्षार्थ समितियों को भेजे गए हैं।

18वीं लोकसभा में पेश 42 बिल्स में से 11 को समितियों को भेजा गया है

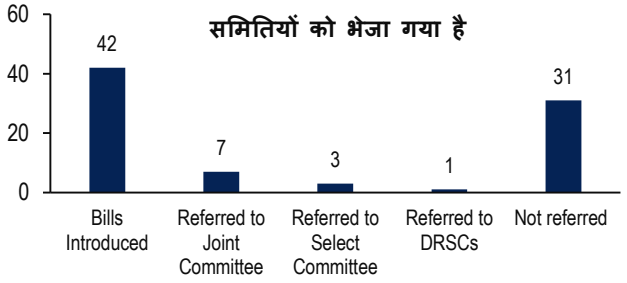

- 18वीं लोकसभा में पेश किए गए 42 बिल्स में से 11 को समितियों को भेजा गया है।
- इनमें दो बिल साइमल्टेनियस चुनावों से संबंधित हैं। तीन बिल ऐसे हैं जो हिरासत में लिए गए मंत्रियों को उनके पद से हटाए जाने से संबंधित हैं। दोनों सदनों की संयुक्त समितियां इन सभी बिल्स की एक साथ समीक्षा कर रही हैं।
- केवल एक बिल- प्रतिभूति बाजार संहिता- को स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमिटी) को भेजा गया है।

दोनों सदनों में प्रश्नकाल आयोजित किया गया जिसमें लगभग 25% प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए

लोकसभा में प्रश्नकाल निर्धारित समय के 67% और राज्यसभा में 80% समय तक चला

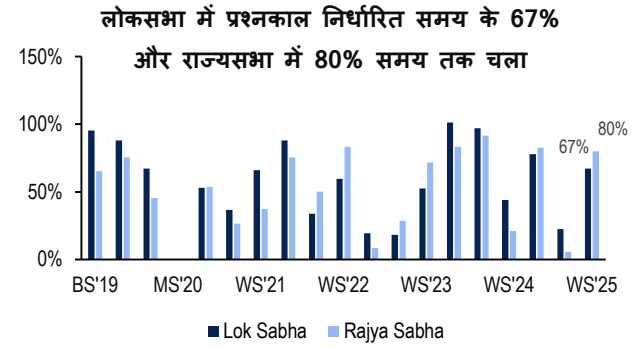

- लोकसभा ने प्रश्नकाल का 67% और राज्यसभा ने 80% उपयोग किया।
- लोकसभा में तारांकित प्रश्नों में से 23% का उत्तर मौखिक रूप से दिया गया, जबकि राज्यसभा में यह प्रतिशत 26% था।

अगस्त 2024 के बाद पहली बार लोकसभा में गैर सरकारी सदस्यों के बिल पेश

निर्धारित तीन में से दो दिन गैर सरकारी सदस्यों का कामकाज

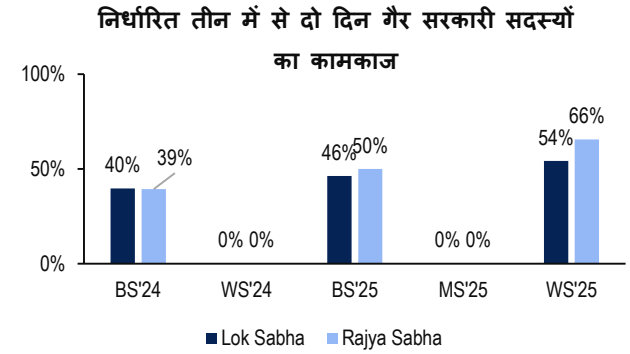

- हालांकि गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज के लिए तीन दिन दिए गए थे, लेकिन दोनों सदनों में दो-दो दिन काम हुआ। एक दिन बिल के लिए और दूसरा प्रस्ताव पारित करने के लिए उपयोग किया गया।
- लोकसभा में 137 गैर सरकारी बिल (पीएमबी) और राज्यसभा में 59 बिल पेश किए गए।
- लोकसभा में अगस्त 2024 के बाद पहली बार पीएमबी पेश किए गए।

राज्यसभा में नए सभापति, जून 2019 से लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं

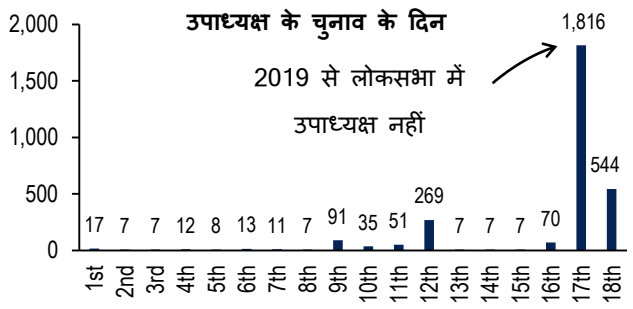

- इस सत्र के दौरान नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति, जोकि राज्यसभा के सभापति भी हैं, के अभिनंदन समारोह में तीन घंटे व्यतीत हुए।
- 18वीं लोकसभा को अब भी उपाध्यक्ष का चुनाव करना बाकी है और 17वीं लोकसभा ने अपने पूरे पांच वर्ष के कार्यकाल में किसी उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं किया।
- संविधान के अनुसार, लोकसभा को यथाशीघ्र एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करना होता है।

स्रोत: लोकसभा और राज्यसभा की कार्य सूची, बुलेटिन; कार्य प्रक्रिया और संचालन नियम, लोकसभा और राज्यसभा, सांख्यिकीय विवरण 2025, संसदीय कार्य मंत्रालय; बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की रिपोर्ट; पीआरएस।

डिस्क्लेमर: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।